

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 73/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
17.3.19	आवेदक/आवेदिका अजय देहरी, पिता- दीप नारायण देहरी, जाति- पाईक (अ.जा.),ग्राम- भालुडुंगरी, पो0+थाना- आनंदपुर, जिला प0 सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- भालुडुंगरी, थाना नं0-139, खाता नं0- 85, प्लॉट नं0- 538, रकवा- 0.10 ए0, क्रेता मदन कुमार नायक, पिता- बौदो नायक, जाति- भुईयां (अ.जा.), ग्राम- काकुरदा, पो0-डुमिरता, थाना- मनोहरपुर, जिला प0 सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं0</th><th>थाना</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>भालुडुंगरी</td><td>139</td><td>-</td><td>85</td><td>538</td><td>0.10 ए0</td></tr></table> आवेदक को मकान एवं शिक्षा हेतु आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.10 ए0 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी आनन्दपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 2.8.19 तक मांग करें । अभिलेख दिनांक 3.8.19 को उपस्थापित करें ।	मौजा	थाना सं0	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा एकड़ में	भालुडुंगरी	139	-	85	538	0.10 ए0	
मौजा	थाना सं0	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा एकड़ में									
भालुडुंगरी	139	-	85	538	0.10 ए0									
	भूमि सुधार 13.2.19 पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।													

Sum
17.3.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।